निर्यात और आयात की गई वस्तुओं की हिस्सेदारी

5102. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वाणिज्य मंत्री दिनांक 24-4-95, 27-3-95 और 20-3-95 को राज्यसभा में क्रमशः तारांकित प्रश्न 294, अतारांकित प्रश्न 1999, अतारांकित प्रश्न 868 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से कौन-कौन सी वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल निर्यात में उनकी कितनी हिस्सेदारी रही है ; और

(ख) देश में ऐसी कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता है जिन पर भारी धनराशि खर्च की जाती है और इसी अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल आयात में इनकी कितनी हिस्सेदारी रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात की गई प्रमुख वस्तुएं और कुल निर्यातों में उनके हिस्सेदारी की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

वस्तु	1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रै.–जन.)
(1) रत्न और आभूषण	16.6	18.0	16.8
(2) इंजीनियरी वस्तुएं	12.1	12.1	11.6
(3) तैयार परिधान	12.9	11.6	12.0
(4) सूती यार्न, फैब्रिक मेड अप्स	7.3	7.0	8.5
(5) भेषजीय प्रसाधन सामग्री	6.2	6.2	6.7
(6) चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं	6.9	3.8	6.1
(7) समुद्री-उत्पाद	3.2	3.6	4.5
(8) ऑयल मील्स	2.9	3.3	2.2
(9) रेशम को छोड़कर हस्त निर्मित कालीन	2.3	2.0	2.1
(10) चावल	1.8	1.8	1.3

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयात की गई प्रमुख वस्तुएं और कुल आयातों में उसकी हिस्सेदारी की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

वस्तु	1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल-जन.)
(1) पैट्रोलियम अपरिष्कृत तथा उसके उत्पाद	27.0	24.8	21.3
(2) मोती, कीमती और अर्द्धकीमती रत्न	11.1	11.3	5.6
(3) विद्युतीय मशीनों को छोड़कर मशीनरी	7.5	9.4	8.9
(4) परियोजना वस्तुएं	5.8	6.0	6.5
(5) कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	6.5	6.0	7.8
(6) परिवहन उपकरण	2.1	5.5	4.2
(7) लोहा और इस्पात	3.6	3.5	4.3
(8) विद्युतीय मशीनरी	3.8	3.4	0.8
(9) उर्वरक विनिर्मित	3.2	2.7	2.7
(10) व्यावसायिक उपकरण	2.3	2.1	1.6

पूर्ति विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि का भुगतान न किया जाना

5103. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति विभाग ने दुर्भावना के कारण कई पूर्तिकर्ताओं को उनकी देय राशि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1994 के अनुसार कितनी धनराशि का भुगतान बकाया था ;

(ग) भुगतान रोके जाने के क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने निश्चित अवधि के अन्दर लंबित पड़े बिलों का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी नहीं ।

यदि आपूर्तिकर्ताओं के बिल अपेक्षित कागजात सहित ठीक होते हैं तो उन्हें, उनकी देय और अनुज्ञेय राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तथापि, 28–2–1994 की स्थिति के अनुसार कुछेक मामलों में क्रेता/मांगकर्ताओं/परेषितियों